-प्रेस नोट-

दिनांक -21.05.2026

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## ! सहारनपुर पुलिस द्वारा — टेक्नोलॉजी का शानदार उपयोग !

## सर्विलांस सेल, सहारनपुर ने "CEIR PORTAL" के माध्यम से किए 310 मोबाइल रिकवर

## (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड रूपये)

अवगत कराना है कि **श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर श्री अभिनन्दन** द्वारा **Dept. Of Telecom Ministry Of Communications, Govt. Of India** के द्वारा विकसित किये गये **CEIR पोर्टल** को संचालित कराने हेतु प्रत्येक थाने पर टीम बनाकर वरिष्ठ उप निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर थाने पर प्राप्त होने वाली मिसिंग मोबाइल की एप्लीकेशन सीईआईआर पोर्टल पर अपलोड कराने व बरामद कराने हेतु आदेशित किया गया था।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में **पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर श्री व्योम बिन्दल एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर श्री मयंक पाठक** के निकट पर्यवेक्षण में **अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी क्राइम, श्री मनोज कुमार यादव व प्रभारी सर्विलांस सेल** के कुशल नेतृत्व में भिन्न-भिन्न तिथियों में गुम हुए मोबाइल फोन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों में, गुम हुए मोबाइल फोन को जनपद सहारनपुर के समस्त थानों पर संचालित CEIR PORTAL पर अपलोड़ कराकर तत्परता से कार्यवाही करते हुए थानो पर गठित टीमों द्वारा **गुमशुदा कुल 310 मोबाइल फोन बरामद किए गये, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 01 करोड रूपये** है। बरामद मोबाइल फोन उनके मालिक/स्वामियों को सुपुर्द किये गये। मोबाइल स्वामियों द्वारा अपने खोये हुए मोबाइल फोन वापस पाकर सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

### बरामद कुल 310 मोबाइल फोन का विवरणः-

- 01 मोबाइल फोन Apple कम्पनी
- 56 मोबाइल फोन Oppo कम्पनी
- 67 मोबाइल फोन Samsung कम्पनी
- 55 मोबाइल फोन Vivo कम्पनी
- 17 मोबाइल फोन OnePlus कम्पनी
- 32 मोबाइल फोन RedMe कम्पनी
- 30 मोबाइल फोन Realme कम्पनी
- 08 मोबाइल फोन Motorola कम्पनी
- 17 मोबाइल फोन LAWA कम्पनी
- 12 मोबाइल फोन Poco कम्पनी
- 01 मोबाइल फोन Xiaome कम्पनी
- 03 मोबाइल फोन Tecxlo कम्पनी
- 08 मोबाइल फोन Infinx कम्पनी
- 01 मोबाइल फोन Nothing कम्पनी
- 02 मोबाइल फोन IQOO कम्पनी

### बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1 अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी क्राइम, श्री मनोज कुमार यादव, जनपद सहारनपुर।
2 प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम।
3 समस्त थानों की CEIR PORTAL टीम।

दिनांक -21.05.2026

-प्रेस नोट-

# ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश***

## ***थाना बेहट पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ओवरलोड परिवहन कर रहे 01 डम्पर को किया गया जब्त***

*अवगत कराना है कि जिलाधिकारी सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु टास्क फोर्स गठित कर लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र में लगातार पिकेट व चैकिंग टीमें लगाकर अवैध खनन परिवहन करने वालों पर कडी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 21.05.2026 को थाना बेहट पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उच्चाधिकारीगण के निर्देशो के क्रम मे अवैध खनन रोकथाम हेतु संयुक्त टीम द्वारा औचक चैकिंग के दौरान 01 ट्रक (डम्पर) HR58E-3073 को मय प्रपत्रों के ओवरलोड उपखनिज का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। ट्रक (डम्फर) को मय उपखनिज के थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये उच्चाधिकारीगण को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।*

***कार्यवाही का विवरणः-***

- *01 ट्रक (डम्फर)न0 **HR 58 E 3073** को ओवरलोड उपखनिज परिवहन करते हुए पकडा गया।*

***वाहन जब्त करने वाली टीम का विवरणः-***

1- *प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट जनपद सहारनपुर।*
2- *संग्रह अमीन श्री कैलाश चन्द तहसील बेहट जनपद सहारनपुर।*
3- *उ0नि0 श्री मुकेश कुमार शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।*
4- *है0का0 507 गौरव राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।*
5- *का0 2458 कमल सिह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।*

दिनांक -21.05.2026

-प्रेस नोट-

# ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश***

## ***थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

*अवगत कराना है कि दिनांक 22.11.2025 को वादी श्री मांगेराम पुत्र इन्द्र सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 22.07.2025 को अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन पूनम देवी को दहेज की मांग कर प्रताडित करना तथा जहर देकर हत्या देने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 169/2025 धारा 85/80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया।*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त* ***अमनीश उर्फ अवनीश कुमार पुत्र राजेश निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना बिहारीगढ सहारनपुर*** *को उसके ग्राम औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –***

*अमनीश उर्फ अवनीश कुमार पुत्र राजेश निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–***

*1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।*
*2. उ0नि0 ब्रजपाल सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।*
*3. का0 2283 राजकुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।*
*4. का0 61 गौतम थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः **21.05.2026**

-प्रेस नोट-

# *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश*

## *थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

*अवगत कराना है कि दिनांक 16.05.2026 को वादिया द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.तौसीफ पुत्र कल्लू 2. सुहैल निवासीगण ग्राम गागलहेडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर आदि द्वारा वादिया की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बंध में थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 205/2026 धारा 137(2) बीएनएस में पंजीकृत किया गया था। पीडिता की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस की बढौतरी की गयी है।*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.05.2026 को मुकदना उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **तौसीफ पुत्र कल्लू निवासी ग्राम गागलहेडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को मढ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-***

*तौसीफ पुत्र कल्लू निवासी ग्राम गागलहेडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-***

*1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।*

*2. है0का0 334 संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*

*3. का0 1253 अनिरुद्ध खोखर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 21-05-2026

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा हाइवे पर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु लूट, चोरी, छिनैती, नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम व इनमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिह राणा के कुशल नेतृत्व शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनाँक 21.05.2026 को दिल्ली देहरादून हाइवे पर चमारीखेडा से आगे हार्न बजाने की बात को लेकर लड-झगडकर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले अभियुक्तगण 1.**रिवज पुत्र वासुदेव निवासी 2.देव पुत्र प्रीतम निवासी 3.रोहित पुत्र संजय निवासीगण न्यू अशोक बिहार गली न0 -02 दिल्ली 4.गुरूनन्द तिवारी पुत्र लल्लन तिवारी निवासी ए-45 गोपाल पार्क कृष्णानगर दिल्ली 5.निखिल पुत्र मनोज निवासी न्यू अशोक नगर झण्डा चौक सी-501 दिल्ली** को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –***

*1. रिवज पुत्र वासुदेव निवासी न्यू अशोक बिहार गली न0 -02 दिल्ली ।*
*2. देव पुत्र प्रीतम निवासी न्यू अशोक बिहार गली न0 -02 दिल्ली ।*
*3. रोहित पुत्र संजय निवासी न्यू अशोक बिहार गली न0 -02 दिल्ली ।*
*4. गुरूनन्द तिवारी पुत्र लल्लन तिवारी निवासी ए-45 गोपाल पार्क कृष्णानगर दिल्ली ।*
*5. निखिल पुत्र मनोज निवासी न्यू अशोक नगर झण्डा चौक सी-501 दिल्ली ।*

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-***

*1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।*
*2. उ0नि0 शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।*
*3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।*
*4. का0 244 धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।*

दिनांक: 21-05-2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 214 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – **"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.05.2026 को पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **सलीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को बेहट विकासनगर रोड पर झोपडी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 214 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 145/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता:-**

सलीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण-**

- 214 ग्राम अवैध चरस

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 113/24 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 219/17 धारा 13 जी एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 87/24 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।
4. एनसीआर न0 8/24 धारा 8/20/23/25/29 एनडीपीएस एक्ट एनसीबी।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण**

1. उ0नि0 श्री चरनपालसिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 828 मोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.05.2026

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

## थाना सदर बाजार पुलिस की सख्त कार्यवाही- ऑपरेशन सवेरा के अन्तर्गत मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही में पिट - एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत बंदी को किया गया निरूद्ध

*अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सचिव (गृह विभाग) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (पिट-एनडीपीएस एक्ट) की धारा 3(1)** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।*

*श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में **अभियुक्त आसिफ खाँ पुत्र फारूख खाँ निवासी ग्राम पढेरा थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली हाल पता किराये का मकान, हाजी का मौहल्ला, रायपुरा चौधरी, थाना इज्जत नगर जनपद बरेली** को भविष्य में स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकने के उद्देश्य से निरुद्ध बंदी किया गया है। यह कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था, समाज की सुरक्षा तथा युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के दृष्टिगत की गई है।*

*निरोधात्मक आदेश के अनुपालन में संबंधित अभियुक्त को जिला कारागार, सहारनपुर में निरुद्ध रखा गया है। यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सरकार एवं पुलिस प्रशासन की जीरो टॉलरेन्स नीति को दर्शाती है।*

*उल्लेखनीय है कि **दिनांक 10.04.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा** अभियुक्त आसिफ के सहअभियुक्त साथी सागर पुत्र राकेश निवासी ग्राम बाईखेड़ा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को **01 किलो 13 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 02 करोड़ रुपये है।** इस संबंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0-154/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें **अभियुक्त आसिफ वांछित चल रहा था।***

*इसके अतिरिक्त दिनांक 26.11.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा **अभियुक्त आसिफ को 04 किलो 320 ग्राम स्मैक के साथ** गिरफ्तार किया गया था, जिसकी अनुमानित **कीमत लगभग 08 करोड़ रुपये है।** इस संबंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0-703/25 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त आसिफ जनपद बरेली का हिस्ट्रीशीटर न0-6बी पंजीकृत अपराधी है।*

*जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण एवं वितरण से जुड़े अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरंतर सतर्कता एवं कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए नशामुक्त एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।*

दिनांक: 21-05-2026

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना देवबंद पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गई 01 मोटर बरामद

*अवगत कराना है कि दिनांक 20.05.2026 को वादी श्री उत्तम सिह पुत्र रिशल सिह निवासी बाबूपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की फैक्ट्री के गोदाम से एक वाइब्रेटर मोटर को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 353/26 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया।*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी, लूट, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं एवं इनमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.05.2026 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण* ***1.दिनेश पुत्र रूपराम निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 2.अनुज पुत्र सुरेशपाल निवासी ठोकरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*** *को चोरी की एक मोटर बिजली की के साथ बाबूपुर नगली वाली रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

***गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-***

1. *दिनेश पुत्र रूपराम निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
2. *अनुज पुत्र सुरेशपाल निवासी ठोकरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-***

1. *उ0नि0 श्री सुन्दर सिहं थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*
2. *कां0 2096 गौरव त्यागी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*
3. *रि0कां0 705 अभय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।*

***अभियुक्त दिनेश का आपराधिक इतिहास***

1. *मु0अ0सं0- 978/17 धारा 60 आब0 अधि0 थाना देवबन्द, सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0- 821/18 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर।*

दिनांक: 21.05.2026

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति/एन्टीरोमियों टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं पर अश्लील फब्तिया कसने वाले 02 मनचले अभियुक्तगण गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिला की सुरक्षा हेतू प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डैस्क व महिला मिशन शक्ति केन्द की स्थापना कर महिला को जागरूक करने तथा महिलाओ की सुरक्षा हेतू लगातार भीड-भाड वाले क्षेत्रों में भ्रमण शील रहकर गस्त/चैकिंग की कार्यवाही हेतू अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.05.2026 को थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति/एन्टीरोमियों टीम द्वारा गश्त के दौरान बाजार में आती जाती महिलाओं को देखकर अश्लील फब्तिया कसने वाले 02 मनचले अभियुक्तगण* ***1. समीर पुत्र मन्सूर निवासी नखासा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर 2. जैद पुत्र एजाज निवासी नखासा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को नखासा बाजार से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 115/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यावाही की जा रही है।*

***गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-***

1. *समीर पुत्र मन्सूर निवासी नखासा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।*
2. *जैद पुत्र एजाज निवासी नखासा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।*

***गिरफ्तारी करने वाली एन्टीरोमियो पुलिस टीमः-***

1. *म0उ0नि0 अंजू सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।*
2. *रि0का0 1355 मोनिका थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।*
3. *रि0का0 1364 राज कुमारी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक: 21-05-2026

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के कुल 6450/- रूपये बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 26.03.2026 को** वादी श्री शशिकान्त शर्मा पुत्र नाथीराम शर्मा निवासी ग्राम बेरीतगा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 25/26.03.2026 की रात्रि को अज्ञात चोर रात्रि के गांव के शिव मन्दिर के दान पात्र से करीब 15,000/- रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 95/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। **तथा दिनांक 29.03.2026** को वादी श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र बाबूराम निवासी भगवानपुर रोड कस्बा गागलहेडी जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 29.03.2026 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की सीमेन्ट दुकान के गल्ले का ताला तोडकर उसमे रखे करीब 30,000/- रूपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 101/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी, लूट, छिनैती, नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इनमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.05.2026 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त **रहमान पुत्र वहीद निवासी ग्राम पाल्ली थाना गागलहेडी सहारनपुर** को कैलाशपुर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 95/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी के 3700/- रूपये तथा मु0अ0सं0 101/26 धारा 305(ए) बीएसएस से सम्बन्धित चोरी के 2750/- रूपये (कुल 6450/- रूपये) बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनो मुकदमो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने कस्बा गागलहेडी मे सीमेंट की दुकान से करीब 12000 रुपये तथा ग्राम बेरीतगा मे शिव मन्दिर के दान पात्र से करीब 13000 रुपये चोरी किये थे ये पैसे जो मेरे पास से मिले है इन्ही चोरी के है बाकी पैसे मुझसे खर्ज हो गये। आज भी मै चोरी करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था कि आपने पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

रहमान पुत्र वहीद निवासी ग्राम पाल्ली थाना गागलहेडी सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण -**

- कुल 6450/- रूपये बरामद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-**

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. उ0नि0 अनिल कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4. है0का0 1069 विकास कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
5. है0का0 981 निशान्त चौधरी थाना गागलहेडी सहारनपुर।
6. रि0क्रू0 का0 858 नितेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।

7. *रि0क्रू0 का0 870 गौरव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।*

दिनांकः 21-05-2026

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी 1,88,629/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

**घटना का विवरणः-**

*आवेदक श्री तेजपाल पुत्र स्व श्री सीताराम कोशिक निवासी 204-205 शिव विहार दिल्ली रोड सहारनपुर थाना सदर बाजार द्वारा दिनांक 14.10.2025 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार अज्ञात अभि0 द्वारा वादी के खाते से जालसाजी करके 8,21,406/- रूपये की धोखाधडी कर लिये थे । जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 47/2025 अन्तर्गत 318(4), 319(2) बीएनएस, 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।*

**पुलिस कार्यवाहीः-**

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक श्री तेजपाल* ***उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से रू0 1,88,629/- की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी । पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया ।***

**धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीमः-**

1. *कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
2. *विवेचक/ निरीक्षक राजीव कुमार सक्सेना, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 नीरज कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
4. *है0कां0 712 निशान्त, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
5. *कां0 99 अरुण कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
6. *कां0 89 अंकित कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*
7. *कां0 103 शकुन कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर*

***CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।***